भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3757**

(वाणिज्य विभाग)

दिनाक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात प्रोत्साहन और संभार तंत्र अवसंरचना

3757. श्री जिया उर रहमान:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और कृषि आधारित उद्योगों के लिए निर्यात प्रोत्साहन और संभार तंत्र अवसंरचना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संभल, मुरादाबाद और अमरोहा जैसे जिलों को ऐसी पहलों के लिए चिह्नित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत की समग्र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 12 नवंबर, 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को स्वीकृति प्रदान की। यह मिशन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), ग्रामीण उद्यमियों, कारीगरों और कृषि-आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान देने के साथ निर्यातकों को लक्षित सहायता प्रदान करता है।

यह मिशन दो एकीकृत उप स्कीमों के माध्यम से निर्यात विकास को संचालित करता है:

- **निर्यात प्रोत्साहन:** पूर्व और पश्च-शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग सहायता, निर्यात ऋण के लिए आनुषांगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी, और एमएसएमई निर्यातकों के लिए उभरते अवसरों के लिए सहायता के माध्यम से निर्यात वित्त तक पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- **निर्यात दिशा:** निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, संभार तंत्र और विदेशी भंडारगार, बाजार पहुंच सहायता, वैश्विक ब्रांडिंग और पैकेजिंग, माल ढुलाई और परिवहन के लिए संभार तंत्र मध्यस्थताओं को सुविधाजनक बनाने और व्यापार आसूचना सहित गैर-वित्तीय व्यापार कारकों पर केंद्रित है।

मिशन के तहत, निर्यात क्षमता, क्षेत्रीय मजबूती और परियोजनाओं की तैयारी के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श से अवसंरचना, संभार-तंत्र सुविधाओं और मूल्य-श्रृंखला एकीकरण के लिए निर्यात संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

निर्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच) पहल के तहत, संभल, मुरादाबाद और अमरोहा सहित देश के जिलों में निर्यात योग्य उत्पादों को चिह्नित किया गया हैं। डीईएच पहल के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का उद्देश्य ईपीएम मध्यस्थताओं का लाभ उठाकर जिला स्तर पर उत्पादकों और वैश्विक बाजारों के बीच संपर्क स्थापति करना है।

सभी तीन जिलों, नामतः संभल, मुरादाबाद और अमरोहा के लिए जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन किया गया है और जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी) तैयार की गई है और उन्हें अपनाया गया है। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण क्षमता वाले उत्पादों को चिन्हित किया गया है- संभल (मेंथॉल, सींग और हड्डी शिल्प); मुरादाबाद (धातु शिल्प, मेंथा तेल, चावल); अमरोहा (संगीत वाद्ययंत्र, लोहा/इस्पात/एल्युमिनियम के सामान)

संभार-तंत्र अवसंरचना को बदलने के उद्देश्य से, सरकार ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया है। इस पहल का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत और समकालिक योजना के माध्यम से पूर्ण रूप से सरकार के दृष्टिकोण को सक्षम बनाकर अवसंरचना योजना को बदलना है। इस पहल का प्रस्ताव मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, आर्थिक केंद्रों, औद्योगिक समूहों, पत्तनों और सांभर-तंत्र केंद्रों के लिए शुरू से अंत तक कनेक्टिविटी में सुधार करना, विभिन्न एंजेसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से तेजी से परियोजना की योजना और कार्यान्वयन, और अवसंरचना की कमियों और बाधाओं की समय पर पहचान करना है।
